

प्लॉइंट नं.	बिंदु विवरण	उत्तर/टिप्पणियाँ
द्वितीय.	इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य	शक्तियाँ और कर्तव्य भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 से 151, 'सी एंड एजी कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें अधिनियम 1971 और अधिनियम के तहत अधिसूचित विभिन्न नियमों और विनियमों से प्राप्त होते हैं।